न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 3/2016
विविध प्रार्थना पत्र संख्या /2016

श्रीमती ग्यारसी देवी व अन्य

.....अपीलान्ट्स

बनाम

श्रीमती सूरजदेवी व अन्य

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

2. राजस्व अपील संख्या 6/2016
विविध प्रार्थना पत्र संख्या 91/2016

श्रीमती ग्यारसी देवी व अन्य

.....अपीलान्ट्स

बनाम

श्रीमती सूरजदेवी व अन्य

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् प्राथमिक आपत्ति

उपस्थित :–

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री विजयसिंह रावत, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 23.03.2017

उपरोक्त दोनो ही प्रार्थना पत्रों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दु नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील भिनाय के राजस्व ग्राम स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1078 में अंकित खसरा नम्बर 1330/6252 रकबा 0.65 के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1692 दिनांक 08.03.2016 एवं खाता संख्या 886 खसरा नम्बर 898/3825 रकबा 4 बीघा बाबत् स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 25.05.1995 से अंसतुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा दो पृथक–पृथक अपीले इस न्यायालय में पेश की गई जिनके विचाराधीन रहते रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा यह प्रार्थना पत्र वास्ते प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल कर प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि उपरोक्त अपील ग्राम बडली तहसील भिनाय की कृषि भूमि खसरा

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नम्बर 1330/6252 पर नायब तहसीलदार देवलियाकला तहसील भिनाय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1692 दिनांक 08.03.2016 को स्वीकृत किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 25.05.1995 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि विवादित भूमि के खातेदार श्री सूरजकरण पुत्र श्री भूरा जाति सुनार निवासी ग्राम बड़ली ने गत खसरा नम्बर 898/3825 रकबा 4 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीगण की माता सूरजदेवी को किया गया जिसके हाल खसरा नम्बर 1330/6252 पर सूरजदेवी के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण का इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थीगण ने विक्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण व प्रार्थीगण की माता की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। साथ ही श्री सूरजकरण के वारिसान द्वारा भी उनकी खातेदारी भूमि का विरासती नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति तथा शिकायतें भी प्रस्तुत की गई जिस पर नामान्तरकरण कार्यवाही विवादित होने से ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण पत्रावली नायब तहसीलदार देवलियाकलां के समक्ष प्रस्तुत हुई। नायब तहसीलदार देवलियाकलां ने दोनो पक्षों को सुनकर व बाद जांच विक्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1692 प्रार्थीगण के नाम स्वीकृत किया एवं नामान्तरकरण संख्या 1687 में विक्रयशुदा भूमि खाता संख्या 1078 पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं होने से इन्कार कर शेष खाता संख्या 1079 पर श्री सूरजकरण के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उक्त दोनों ही नामान्तरकरण पर दिनांक 08.03.2016 को आदेश पारित किये गये जिससे यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार देवलियाकलां के समक्ष उक्त विवादित भूमि के संबंध में नामान्तरकरण विवादित रहे है तथा उन्होंने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत विवादित नामान्तरकरण पर आदेश पारित किये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के सबक्लॉज (एफ) में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 135(2) के अन्तर्गत निर्णित नामान्तरकरण की अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को न होकर डायरेक्टर लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर अर्थात संभागीय आयुक्त में नीहित है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.बी.जे.(11)2004 पेज 96 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्स माननीय न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त की जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अपीलान्ट्स ने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन गलत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से अस्वीकार है। उनका कथन है कि विवादित खसरा नम्बर 898/3825 रकबा 4 बीघा भूमि अपीलान्ट्स के पति एवं पिता श्री सूरजकरण पुत्र श्री भूरालाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है जिस पर अपीलान्ट्स अपने पति एवं पिता के जीवनकाल से आज दिवस तक लगातार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है जिसमें रेस्पोन्डेन्ट्स की माता सूरजदेवी अथवा उसके वारिसान का कभी कोई वास्ता हित अथवा सरोकार ना कभी था ना ही आज है, जिसका अपीलान्ट्स द्वारा अपने पति एवं पिता की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि पर विरासत दर्ज किये जाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किया, जो कि ग्राम पंचायत के समक्ष विचाराधीन रहते उक्त विरासत नामान्तरकरण पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर * अजमेर *

अपर कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कर अपीलान्ट्स को सूचित किये बिना एवं बिना विधिवत नोटिस जारी किये ही उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सूचित किये एवं बिना विधिवत रूप से नोटिस जारी किये, बिना जवाब, साक्ष्य सबूत, दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये ही एवं बिना न्यायिक प्रक्रिया को अमल में लाये उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया है जो कि सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिनियम की धारा 135(2) की परिधि में नहीं होने से अपीलान्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. मय प्राथमिक आपत्ति सारहीन एवं आधारहीन होने से माननीय न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने अन्त में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट्स गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार देवलियाकलां द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण पूर्ण जांच कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत शिकायत/आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात् अपने पत्र क्रमांक/उप.तह./ राजस्व/16/113 दिनांक 04.02.2016 से सरपंच ग्राम पंचायत बड़ली को जारी पत्र में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1330/6252 को जांच का विषय मानते हुए उक्त खसरा नम्बर की भूमि को विवाद की परिभाषा में मानकर आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के परिपेक्ष्य में निर्णित किया गया है। धारा 135(2) में निर्णित नामान्तरकरण की अपील को सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को न होकर डायरेक्टर लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर को है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जाती है तथा अपीलान्ट्स को निर्देशित किया जाता है कि वे आक्षेपीय नामान्तरकरण के विरूद्व सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करें।

आदेश आज दिनांक 23.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner